भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3500

जिसका उत्तर 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया

किसान क्रेडिट कार्ड

3500. श्री धनुष एम. कुमारः

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन छोटे और सीमांत किसानों की संख्या कितनी है जो किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गुजरात और तमिलनाडु सहित देश में किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितने किसानों को कितना ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने तमिलनाडु सहित देश में उक्त योजना के बारे में छोटे और सीमांत किसानों में जागरुकता फैलाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ग) किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कितने ऋण तीन लाख रुपए से अधिक वाले ऋण हैं; और

(घ) क्या सरकार का किसानों के बढ़ते हुए व्ययों को दृष्टि में रखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को प्रदान किए जाने वाले निर्धारित ऋणों की राशि में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान जारी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की संख्या और स्वीकृत राशि का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** पर है। आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की संख्या और बकाया ऋण राशि का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** पर है।

आरबीआई और नाबार्ड द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, केसीसी के अंतर्गत तीन लाख रुपए से अधिक के ऋणों के संबंध में पृथक (सेग्रीगेटिड) जानकारी केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा निदेशों के अनुसार, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कृषि क्षेत्र के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण (सीईओबीई) जो भी अधिक हो, का 18% प्रदान करना आवश्यक है। भूमिहीन कृषि मजदूरों, काश्तकारों किसानों, मौखिक पट्टेदारों और बटाईदार किसानों सहित छोटे एवं सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए 8% का एक उप-लक्ष्य भी विनिर्धारित किया गया है। इसी प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में उनके कुल बकाया अग्रिमों का 18% कृषि क्षेत्र के लिए

तथा छोटे और सीमान्त किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए 8% का एक उप-लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नाबार्ड द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, पिछले 3 वर्ष के दौरान कृषि ऋण संवितरण के अंतर्गत छोटे और सीमान्त किसानों का प्रतिशित अंश निम्नानुसार है:

वर्ष	खातों की संख्या	राशि
2016-17	72.1 %	50.1 %
2017-18	74.7 %	49.9 %
2018-19 (अनंतिम)	74.3 %	49.9 %

केसीसी योजना के अंतर्गत, सीमांत किसानों को भूमि धारिता के आधार पर और कटाई के बाद भंडारण (वेयर हाउस) से संबंधित ऋण आवश्यकताओं सहित उगाई गई फसलों और कृषि कार्य संबंधी अन्य व्यय, उपभोग आवश्यकताओं, इत्यादि के साथ-साथ लघु अवधि ऋण निवेशों के लिए भूमि के मूल्य पर ध्यान दिए बिना 10,000 रूपए से 50,000 रूपए तक की लचीली ऋण सीमा (फ्लेक्सी केसीसी के रूप में) उपलब्ध कराई गई है।

औपचारिक ऋण प्रणाली में छोटे और सीमांत किसानों के कवरेज को बढ़ाने के लिए, आरबीआई ने संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है।

छोटे और सीमांत किसानों, बटाईदारों और इनके जैसे के लिए 50,000 रुपये तक के छोटे ऋणों के लिए बेबाकी प्रमाण पत्र की आवश्यकता को भी खत्म कर दिया गया है और इसके बदले, उधारकर्ता से सिर्फ स्व-घोषणा की आवश्यकता है।

छोटे, सीमांत, काश्तकार किसानों, मौखिक पट्टेदारों, आदि को संस्थागत ऋण के दायरे में लाने के लिए बैंकों द्वारा संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) को बढ़ावा दिया गया है।

अब केसीसी योजना को सरल बनाया गया है, इसमें एटीएम सक्षम रूपे डेबिट कार्ड जारी करने की व्यवस्था है, जिसके तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, एकबारगी प्रलेखन, सीमा में निहित लागत की वृद्धि, सीमा के तहत अनगिनत आहरण आदि की सुविधा उपलब्ध है।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण सीमा/ऋण राशि का निर्धारण आरबीआई द्वारा जारी 04 जुलाई, 2018 के मास्टर परिपत्र में विनिर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है। केसीसी के अंतर्गत, प्रथम वर्ष हेतु अल्पावधि ऋण सीमा फसल के वित्तमान को हिसाब में लेते हुए निर्धारित की जाती है - (जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा यथा निर्धारित) x फसल उगाई वाले क्षेत्र की सीमा + फसल कटाई उपरांत/घरेलू/उपभोग अपेक्षाओं हेतु सीमा का 10% + फार्म आस्तियों की मरम्मत तथा रख-रखाव व्ययों हेतु सीमा का 20% + फसल बीमा तथा/अथवा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (पीएआईएस) सहित दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा और आस्ति बीमा। दूसरे और तदनंतर वर्षों (तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ष) हेतु सीमा की गणना इस प्रकार की जाती है - फसल उगाई उद्देश्य हेतु पहले वर्ष की सीमा + लागत वृद्धि/वित्त के पैमाने में वृद्धि के लिए सीमा का 10% और किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि अर्थात् पांच वर्ष के लिए अनुमानित अवधि ऋण घटक।

पांचवे वर्ष के लिए निर्धारित अल्पावधि ऋण सीमा जमा अनुमानित दीर्घावधिक ऋण आवश्यकता अधिकतम अनुमत सीमा (एमपीएल) होगी तथा इसे किसान क्रेडिट कार्ड सीमा माना जाएगा/

*****

दिनांक 15.07.2019 का लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3500 का अनुबंध-I

सहकारी बैंकों और आरआरबी के संबंध में पिछले तीन वर्ष के दौरान जारी किए गए केसीसी और स्वीकृत राशि की विवरणी

(कुल संख्या, राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19 (फरवरी 2019)	
		जारी किए गए कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी किए गए कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी किए गए कार्ड	स्वीकृत राशि
1	आंध्र प्रदेश	176852	1079.27	175720	1462.58	209895	2358.95
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	212	0.08	147	0.42	275	1.78
3	अरुणाचल प्रदेश	56	0.74	0	0.00	275	3.02
4	असम	58321	295.61	108067	418.99	12060	79.44
5	बिहार	145160	684.67	58205	349.02	33665	251.36
6	छत्तीसगढ़	55957	1309.54	19127	59.61	8994	75.94
7	दादरा एवं नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	गोवा	949	0.87	118	1.30	169	2.84
10	गुजरात	67977	714.75	50753	678.56	78556	1056.12
11	हरियाणा	37148	909.64	41003	1142.81	38691	1003.80
12	हिमाचल प्रदेश	15131	218.73	17931	685.23	17356	381.46
13	जम्मू और कश्मीर	3987	21.03	7289	71.57	5754	66.14
14	झारखंड	37788	90.68	75137	286.42	72857	330.15
15	कर्नाटक	508324	7618.10	347982	2892.38	332662	1775.12
16	केरल	196859	1205.65	152013	1108.78	153489	1303.81
17	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	मध्य प्रदेश	196858	491.60	467558	1454.72	44569	704.82
19	महाराष्ट्र	210846	468.27	101737	223.36	104466	585.30
20	मणिपुर	1980	6.10	4120	10.62	3600	7.88
21	मेघालय	3123	14.43	1338	6.57	1960	15.47
22	मिजोरम	3660	18.27	4388	28.80	1818	12.26
23	नागालैंड	680	1.73	0	0.00	130	0.46
24	नई दिल्ली	135	2.36	98	1.99	41	0.82
25	ओडिशा	118705	3836.82	93600	1897.92	139199	634.33
26	पुदुचेरी	327	2.93	104	0.98	478	4.80
27	पंजाब	29618	506.48	14265	430.97	46500	456.24
28	राजस्थान	264045	5273.71	221792	2617.95	164271	1813.50
29	सिक्किम	72	0.20	95	0.22	0	0.00
30	तमिलनाडु	206270	2008.02	123730	964.16	277493	1790.05
31	तेलंगाना	158947	423.87	141884	673.62	190119	957.59
32	त्रिपुरा	5471	9.25	24268	82.97	18271	69.16
33	उत्तर प्रदेश	454233	4438.46	559816	6287.75	549276	6113.16
34	उत्तराखंड	6055	246.87	2713	14.12	24944	107.28
35	पश्चिम बंगाल	52670	158.99	81014	157.21	185314	247.00
	कुल	3018416	32057.70	2896012	24011.60	2717147	22210.04

स्रोत: नाबार्ड

दिनांक 15.07.2019 का लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3500 का अनुबंध-II

सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में पिछले तीन वर्ष के दौरान जारी किए गए केसीसी और स्वीकृत राशि की विवरणी

(कुल संख्या एवं राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19	
		परिचालनरत केसीसी	बकाया राशि	परिचालनरत केसीसी	बकाया राशि	परिचालनरत केसीसी	बकाया राशि
1	अंडमान	432	298.19	288	288.35	4064	4947.41
2	आंध्रप्रदेश	1753878	2299666.74	1874715	2429494.78	1960407	2712829.15
3	अरुणाचल प्रदेश	8574	5488.67	8779	5843.66	57124	29104.42
4	असम	496801	312670.28	583215	385377.72	643330	446995.37
5	बिहार	1443624	1111440.81	1321843	1047704.56	1107120	962659.84
6	चंडीगढ़	10484	54361.30	3536	27354.28	7561	39541.42
7	छत्तीसगढ़	219235	425922.65	228163	457898.81	222188	483305.52
8	दादरा एवं नगर हवेली	527	1556.98	535	1428.56	445	693.60
9	दमन और दीव	314	773.06	391	970.69	393	959.29
10	दिल्ली	4893	27650.61	3277	26089.69	3346	9166.46
11	गोवा	7212	18358.77	6959	17538.60	13112	30322.23
12	गुजरात	1070354	2664767.11	1085847	2957906.02	1102994	3112755.61
13	हरियाणा	654854	2669983.61	676683	2814466.62	669993	2759675.34
14	हिमाचल प्रदेश	208895	346884.59	213124	364048.89	175421	326032.35
15	जम्मू और कश्मीर	274609	350375.46	299552	383236.56	330476	418027.03
16	झारखंड	642314	275237.32	600314	282125.03	596937	306726.19
17	कर्नाटक	932400	2849586.25	893415	2412133.33	849921	2331345.76
18	केरल	311424	1196089.65	310145	1211695.16	311868	1308674.13
19	लक्षद्वीप	508	243.63	488	240.27	43571	84826.84
20	मध्य प्रदेश	1640177	3437332.64	1642945	3818073.20	1628594	4056616.65
21	महाराष्ट्र	2446364	3809879.40	2203906	3310354.73	2126422	3550037.88
22	मणिपुर	14988	11381.51	15621	11824.50	13422	10860.36
23	मेघालय	56598	30797.01	54261	37780.17	51311	33929.51
24	मिजोरम	12395	8366.76	10550	7699.05	9380	7388.92
25	नागालैंड	32758	15925.74	28311	14078.83	110716	57653.60
26	ओडिशा	602490	449437.05	654844	485021.01	570404	466905.99
27	पुदुचेरी	15499	58847.91	4394	14718.28	26819	84088.39
28	पंजाब	862228	4917378.61	871631	4880757.23	901242	4704885.48
29	राजस्थान	2000765	5044590.25	2039917	5381633.75	1969220	5555757.01
30	सिक्किम	4664	4771.64	4809	3405.65	11319	13955.97
31	तमिलनाडु	506183	1341306.83	544252	1572608.71	550332	1672988.11
32	तेलंगाना	1356409	1938726.96	1796333	1770608.54	1765180	1862082.69
33	त्रिपुरा	45739	26058.42	79193	42814.76	84542	60397.89
34	उत्तराखंड	389100	641787.33	236329	476288.04	266612	540881.71
35	उत्तरप्रदेश	4450262	6454175.58	4225532	5921402.19	4492539	6743961.60
36	पश्चिम बंगाल	822998	533069.79	1004036	736448.25	954056	716914.26
	कुल	**23300949**	**43335189.11**	**23528133**	**43311358.47**	**23632381**	**45507893.96**

स्रोत:आरबीआई